संख्या-21/2023 /757/58-1-2023-54-2002(001)/3/2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023**

विषय: अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय-00 के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष'' में पुनर्विनियोजन के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1504/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 13 मार्च, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय-00-मानक मद-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष में रु0 30.00 लाख (रुपया तीस लाख मात्र) की धनराशि की व्यस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं :-

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा ।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है । उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे ।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 एवं शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक दिनांक 07 जून, 2022, शासनादेश संख्या-24/2022/बी-1-750/दस-2022-231/2022,

दिनांक 08 नवम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या-बी-1-755/दस-2022-231/2022, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रायोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(7) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय-00-मानक मद-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9(भाग-1)

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-21 /2023 /757/58-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
5. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त(लेखा) अनुभाग-1।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A054-20222023-54-2002-001-3-2023

विषय:- अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय-00 के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष'' में पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
049	2235021020300 (बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय)	01 (वेतन)	93,30,00,000 रुपये तिरानवे करोड़ तीस लाख मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	- 30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	93,00,00,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
049	2235021020300 (बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय)	52 (पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय))	0	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	30,00,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे:-

1. उपलब्ध बचत का कारण-पद रिक्त होने के कारण।
2. प्रावधान न होने के कारण।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-594-2022-23, दिनांक- 23 मार्च,2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव ।

(नीलेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या :671(1)/58-1-2023-54-2002-001-3-2023, दिनांक- 28 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
2.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3. निदेशक,वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
5. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव ।